20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWEN

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE R

निगरानी – ~~२६२६ – 1093/15~~

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी – २६२६ – ग/2015

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

एस0 के0 श्रीवास्तव
17-8-15

17-8-15

S.K. Srivastava
17-8-15

1. किरतविन्दरसिंह पुत्री लक्खा सिंह निवासी शीतलपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0
2. मॉकमसिंह पुत्र तारासिंह
3. रघुवीरसिंह पुत्र तारासिंह
4. दलजीतसिंह पुत्र तारासिंह
5. जगजीतसिंह पुत्र तारासिंह
6. [illegible] पुत्र लक्खासिंह
7. [illegible] पुत्र लक्खासिंह
8. [illegible] पुत्र लक्खासिंह,
9. भगवन्तसिंह पुत्र लक्खासिंह
10. बलविन्दरकौर पुत्री लक्खासिंह
11. सुखविन्दरकौर पुत्री लक्खासिंह

समस्त जाति सिख समस्त निवासीगण श्यामाटोरी तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर।

——— आवेदकगण

बनाम

1. बुद्धा पुत्र धन्सा जाति ढीमर निवासी— श्यामाटोरी तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर

2. किलोला पुत्र प्रभूलाल
3. धन्ना पुत्र प्रभूलाल
4. रामलाल पुत्र प्रभूलाल
5. कपूरी पुत्री प्रभूलाल समस्त जाति ढीमर समस्त निवासीगण श्यामाटोली तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर ------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांकी 17/07/2015, पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना व ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 191/अपील/2013-14 व अंतर्गत किलेन्दर व अन्य बनाम बुद्धा व अन्य, जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांकी 26/3/2015 स्वीकार करते हुये आवेदकगण की अपील बिना किसी आदेश के तथा उक्त अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांकी 17/9/2013 निरस्त किया गया ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, ग्राम श्यामाटोली तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 107/2 रकबा 0.60 हैक्टर सर्वे क्रमांक 108 रकबा 0.794 हैक्टर कुल रकबा 0.8..

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./2626/एक/2015 जिला अशोकनगर

किलविन्दर सिंह आदि विरूद्‌ध बुद्‌धा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्‌वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना ईसागढ़, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 191/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17/07/2015 विरूद्‌ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	